# वादपत्र अन्तर्गत धारा 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
## वादपत्र संख्या 20/2020
## अनवानी प्रहलाद बनाम विनोद कुमार

29.10.2024 अधिवक्ता वादी उपस्थित नही। अधिवक्ता प्रतिवादी उपस्थित। बहस हेतू पूर्व में पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी वादी अधिवक्ता उपस्थित नही। अतः वादपत्र 92ए, 209 आरटीए का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर इस प्रकार किया जा रहा है। वाद पत्र के तथ्यों के अनुसार वाके चक 1 बी आर के सरकज नहर ओड़की के खाता संख्या 15/21 के मु0न0 9 में किला नं. 1/1 के 0.202 हैक्टे0, किला नं. 1/2 के 0.0260 हैक्टे0 गैरमुमकिन रास्ता किला नं. 9/2 में 0.2505 हैक्टे0 किला नं. 12 में 0.253 हैक्टे0, मु0न0 8 में किला नं. 5 में 0.0760 हैक्टे0 किला नं. 6 सालम कुल 1.0605 हैक्टे0 भूमि नहरी वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इसी चक के अन्य खाता संख्या 12/11 मे भी वादी के नाम से संयुक्त खाता में 759/6400 हिस्सा भूमि दर्ज है वादी खातेदार होने के कारण दावा प्रस्तुत करने का अधिकारी है।

प्रतिवादी के नाम से चक 1 बी आर के सरकज नहर ओड़की के खाता संख्या 30/15 के मु.न. 9 में किला नं. 2/2 में 0.0130 गैर मुमकिन रास्ता, किला नं. 2/3 में 0.1140 हैक्टे0, किला नं. 10/1 में 0.126 हैक्टे0 कुल 0.240 हैक्टे0 रकबा व मु0न0 15 में 1.645 हैक्टे0 रकबा राजस्व रिकार्ड दर्ज है।

प्रतिवादी चालाक किस्म का व्यक्ति है वादी जून 2019 में जिले से बाहर किसी कार्य से गया हुआ था इस मौके का फायदा उठाते हुए प्रतिवादी ने मु0न0 9 के किला नं. 2 में स्थापित ट्युबवैल का पानी मु0न0 15 में ले जाने के लिए वादी के नाम के चक 1 बी आर के सरकज नहर ओड़की में खाता संख्या 15/21 के मु0न0 9 में किला नं. 1/1 के 0.202 हैक्टे0 भूमि में 3 फुट गहरी पाईप डाल दी, जिसके सम्बन्ध में श्रीमान न्यायालय से अनुमति भी नही प्राप्त की गई। और वादी से सहमति भी नही ली गई।

अतः इस आश्य की चिरस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रतिवादी चक 1 बी आर के सरकज नहर ओड़की के खाता संख्या 15/21 के मु0न0 9 में किला नं. 1/1 के 0.202 हैक्टे0 भूमि मे 3 फुट गहरी पाईपलाईन को उखाड़ लेवें तथा वादी की भूमि में किसी प्रकार की दखलअदांजी करने से निषेदित रहें।

अधिवक्ता वादी द्वारा बहस में कथन किया गया कि अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि इस आश्य कि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थी वाके चक 1 बी आर के सरकज नहर ओड़की के खाता संख्या 15/21 में मु.न. 9 में किला नं. 1/1 के 0.202 हैक्टे0 भूमि में स्थापित पाईपलाईन का इस्तेमाल करने से बाज ममनू रहे। तथा अप्रार्थी प्रार्थी के रकबे में किसी प्रकार से दखलअंदाजी करने से बाज व ममनू रहें।

यक कलक्टर एवं
र्यपालक ट्यूबवैल
(फास्ट ट्रैक) श्रीगंगानगर

अधिवक्ता प्रतिवादी ने जवाब बहस में कथन किये कि चक सरकज नहर ओड़की मु0न0 9 के किला नं. 1/2 [illegible] है एवं 1/1 में मुझ अप्रार्थी की अण्डरग्राउड पाईप लाईन सिचांई के लिए [illegible] है। मुझ प्रतिवादी द्वारा मु0न0 9 के किला नं. 2/2 में ट्यूबेल [illegible] की कृषि भूमि मु0न0 9 के किला नं. 1/1 में मुझ वादी द्वारा सिचांई हेतु [illegible] लाईन कई वर्षो से डाल रखी है जिसमें प्रतिवादी अपनी उक्त कृषि भूमि मु0न0 14, 15, 23, [illegible] पिता की कृषि भूमि में सिचांई करता है। मुझ प्रतिवादी द्वारा कई वर्षो से [illegible] सहमति से अण्डर ग्राउण्ड पाईपलाईन डाली हुई है। एवम इसकी स्वीकृति हेतू भी माननीय उपजिलाधिश, श्रीगंगानगर के न्यायालय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हुआ था। एवं जिसका आदेश दिनांक 29.07.2021 की प्रमाणित प्रति विविध प्रार्थना पत्र 212 आरटीए के संलग्न की हुई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.11.07 11:55:36 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी उक्त पाईप से अपने ट्युबेंल का पानी ले जाकर अपनी कृषि भूमि में सिचांई कर रहा है। ना तो सुविधा का संतुलन वादी के हक में है ना ही प्राईमफेसाई केस वादी के हक में साबित है न ही वादी को अपरिमेय क्षति हो रही है। अगर स्थगन

आदेश न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है तो प्रतिवादी को अपरिमेय क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से नही हो पायेगी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं पत्रावली में प्रस्तुत अभिलेखिय साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत विविध प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत श्रीमान उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 29.07.2021 की प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी विनोद कुमार द्वारा वादी प्रहलाद के कृषि भूमि खाता संख्या 15/21 के मु0न0 9 के किला नं. 1/1 की उत्तरी दिशा में पाईप द्वारा सिंचाई पानी हेतु 4 फुट गहराई में पाईप लाईन डालने के स्वीकृति प्राप्त कर ली है। इसलिए प्रतिवादी को चिरस्थायी निषेधाज्ञा से निषेद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतित नही होता है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 29 अक्टुबर, 2024 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से को जारी किया गया।

स्वाति गुप्ता
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक,
(फास्ट्रैक) श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.11.07 11:55:36 IST
Reason: SelfAttested